BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL (MP)

ORIGINAL APPLICATION No 96/ 2023

APPLICANT : YADRAM

VERSUS

RESPONDENTS : STATE OF RAJASTHAN&ORS.

ACTION TAKEN REPORT BY STATE IN TERMS OF ORDER DATED 21/03/2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

That in terms of directions issued by this Hon'ble Tribunal dated 21/03/2024,State is submitting the Action taken report dated 10/07/2024 which may be kindly taken on record.

PRAYER

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this Action taken report Dated 10/07/2024 on record in the interest of justice.

Place:
Date: 10/07/2024

SHOEB HASAN KHAN
STANDING COUNSEL
STATE OF RAJASTHAN

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

क्रमांक एफ34(18)सामान्य/2024/8760 दिनांक 10/7/24

माननीय रजिस्ट्रार महोदय
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
केन्द्रीय ब्रॉच भोपाल

विषयः– ओ.ए. संख्या 96/2024 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, समक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण Central Zone Bench भोपाल द्वारा यादराम बनाम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 21.03.2024 के अनुसरण में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास को प्रतिनिधि नामित कर SEIAA राजस्थान जयपुर के साथ संयुक्त निरीक्षण कर माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 23.04.2024 से निर्देशित किया गया। तथा SEIAA राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक F.SEIAA/NGT SITE VISIT/Env/2024/4262 dated 05/07/2024 के द्वारा श्री सुनील कुमार कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता को साईट के निरीक्षण अपना प्रतिनिधि नामित कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः नामित प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी रूपवास एवं SEIAA राजस्थान के नामित प्रतिनिधि कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की सयुक्त टीम द्वारा मौके उपस्थित अन्य विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 08.07.24 को खनन क्षेत्र बंशी पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के चिन्हित खनन ब्लॉक A & B की निरीक्षण रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ0 अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

RajKaj Ref
8779194

Signature valid
Digitally signed by Amit Yadav
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.07.09 12:41:24 IST
Reason: Approved

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

फ़ॉरेस्ट एरिया ब्लॉक A एवं ब्लॉक B वंशी पहाड़पुर रूपवास (भरतपुर)

दिनांक 08/07/2024

द्वारा :-

बाबू लाल उपखंड अधिकारी रूपबास

सुनील कुमार कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता SEIAA राजस्थान जयपुर

माननीय हरित न्यायाधिकरण केंद्रीय बेंच भोपाल द्वारा निर्णय यादराम बनाम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के मामले में दिनांक 21.03.2024 की पालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक एफ .34(18)सा /24/3810 दिनांक 23.04.24 एवं SEIAA राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.SEIAA/NGT SITE VISIT/Env/2024/4262 dated 05.07.2024 के द्वारा क्रमशः उपखंड अधिकारी रूपबास श्री बाबू लाल एवं श्री सुनील कुमार कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता को संयुक्त निरीक्षण का निर्देश प्राप्त हुआ

उक्त निर्देश की पालना में आज दिनांक 08/07/2024 को उपखंड अधिकारी रूपबास श्री बाबू लाल एवं SEIAA राजस्थान के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के साथ -साथ सहायक खनन अभियंता कार्यालय रूपबास के कार्मिक श्री वीरेन्द्र कुमार फ़ोरमैन, मनमोहन मीना वरिष्ठ खनन फोरमैन एवं वनपाल नाका वंशी पहाड़पुर के कार्मिक दीपक कुमार उपाध्याय सहायक वनपाल, गौरव वंशल वन रक्षक की उपस्थिति में वंशी पहाड़पुर के ब्लॉक A एवं ब्लॉक B के फ़ॉरेस्ट एरिया का संयुक्त निरीक्षण किया गया

ब्लॉक A फ़ॉरेस्ट एरिया का निरीक्षण वृतांत इस प्रकार है-

(1) वक्त निरीक्षण फॉरेस्ट एरिया में खनन कार्य या गतिविधियाँ दृष्टिगत नहीं पायी गयी

ब्लॉक B फ़ॉरेस्ट एरिया का निरीक्षण वृतांत इस प्रकार है -

(1) वक्त निरीक्षण फॉरेस्ट एरिया में किसी भी प्रकार का खनन कार्य या गतिविधियाँ दृष्टिगत नहीं पायी गयी

(2) लीज़ प्लॉट 12 एवं 13 से संलग्न फ़ॉरेस्ट एरिया में डम्प मटेरियल पाया गया ।

08.07.24

बाबू लाल (आर०ए०एस०)
उपखंड अधिकारी रूपबास
भरतपुर

08.07.24

सुनील कुमार
कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता
SEIAA राजस्थान जयपुर

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL (MP)

ORIGINAL APPLICATION No 96/ 2023

APPLICANT : YADRAM

VERSUS

RESPONDENTS : STATE OF RAJASTHAN&ORS.

ACTION TAKEN REPORT BY STATE IN TERMS OF ORDER DATED 21/03/2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

That in terms of directions issued by this Hon'ble Tribunal dated 21/03/2024,Forest Department is submitting the Action taken report dated 09/07/2024 which may be kindly taken on record.

PRAYER

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this Action taken report Dated 09/07/2024 on record in the interest of justice.

Place:
Date: 10/07/2024

SHOEB HASAN KHAN
STANDING COUNSEL
STATE OF RAJASTHAN

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ/विधि/उवस/2023–24/ 5946 दिनांक 9-7-24

निमित्त,

श्रीमान रजिस्टार

मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,

सेंट्रल जोन ब्रान्च,

तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन

अरेरा हिल्स,

भोपाल

विषयः—मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बैंच भोपाल में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 96/2023 यादराम बनाम राज0 सरकार के सम्बंध में।

संदर्भः—मा0 न्यायालय का आदेश दिनांक 21.3.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2024 की अनुपालना में वनविभाग,भरतपुर की ओर से दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 04.07.2024 तक बन्धबारैठा एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन में की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत हैः—

1. वन विभाग भरतपुर द्वारा बंध बारैठा अभ्यारण एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 04.07.2024 तक अवैध खनन/निर्गमन में निम्न कार्यवाही की गई हैः—

क्र.स.	एफआईआर न. /दिनांक	अभियुक्त का नाम व पते का विवरण	अपराध का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण/मुआवजा राशि
1	1922–05/ 01.05.2024	नाम नामालूम	ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
2	1922–06/ 14.05.2024	कल्लन पुत्र अतरी गुर्जर ग्राम परउआ तह. बयाना	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा फर्सी (पत्थर) का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
3	1922–07/ 25.05.2024	बल्ला पुत्र श्री भगवान सिंह गुर्जर निवासी गजनुआ तह. बयाना	ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
4	1922–08/ 25.05.2024	नाम नामालूम	हाईड्रा क्रेन द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
5	1922–09/ 25.05.2024	नाम नामालूम	कम्प्रेशर मशीन द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
6	1922–10/ 12.06.2024	कालीचरण सिंह पुत्र रामजीलाल नि. घुसियाना नगला दुल्हे खान खेरागढ (UP)	मोटर साईकिल से जाकर अवैध खनन करना	फैसल जुर्माना राशि 15000

7	1922–11/ 25.06.2024	अखेसिंह पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम नागोरी तह. बसेडी जिला धौलपुर	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा पट्टी/चीरी का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
8	1922–12/ 25.06.2024	वीरू सिंह पुत्र गजराज सिंह ग्राम जन्जारीपुरा पुलिसथाना गढी बाजना,	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा पट्टी/चीरी का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
9	66/27 दिनॉक 01.04.2024	नेतासिह पुत्र श्री नन्दराम जाति–गुर्जर उम्र 32 बर्ष निबासी– बडौदा तह0 रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000
10	66/28 दिनॉक 01.04.2024	अनूमसिह पुत्र श्री रामनिवास निवासी तरबीजपुर पुलिस गढीबाजना थाना बयानाभरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000
11	65/29 दिनॉक 01.04.2024	सूरज पुत्र श्री सन्तोष निवासी तरबीजपुर पुलिस गढीबाजना थाना बयानाभरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000 /–
12	66/30 दिनॉक 03.04.2024	दयाराम पुत्र श्री हरबीर निवासी नगलातुला पुलिस रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000/–
13	66/31 दिनॉक 10.04.2024	दीपू पुत्र श्री शशि जाति राजपूत 30 बर्ष नि0महलपुर थाना रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000/–
14	66/32 दिनॉक 30.04.2024	विशन सिह पुत्र श्री गोपाल जाति राजपूत नि0बंशीपहाडपुर पुलिस थाना रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	80000/–
15	66/33 दिनॉक 02.05.2024	बहादुर पुत्र श्री गोरधन जाति कोली नि0 सिधनिया भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000/–
16	66/34 दिनॉक 25.05.2024	सियाराम पुत्र श्री प्रेमसिह जाति गुर्जर निवासी बरौदा पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000/–
17	66/35 दिनॉक 28.05.2024	अमित पुत्र श्री धारा जाति गुर्जर निवासी खोहरी पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	41000/–
18	66/36 दिनॉक 28.05.2024	दिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी बंशीपहाडपुर पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000/–
19	68/07 दिनॉक 06.06.2024	शिवपाल पुत्र श्री वनवारी लाल जाति बैश्य नि0 सैह कुम्हेर भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन/परिवहन	51000/–

20	66/37 दिनॉक 08.06.2024	रमेश पुत्र श्री बशीधर प्लॉट न 08/341 सेक्टर न0 08 विधाधर नगर जयपुर	वन भूमि मे अवैध रूप से डंपिग डालना	200000/-
21	66/38 दिनॉक 08.06.2024	मृगू राज पुत्र श्री संतलाल इलाबाद उतर प्रदेश		100000/-
22	66/39 दिनॉक 10.06.2024	भगवानसिह पुत्र श्री विजेन्दसिह जाति गुर्जर नि0महमदपुरा बयाना	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	60000/-
23	66/40 दिनॉक 24.06.2024	दीवान पुत्र श्री हिम्मत सिह जाति गुर्जर नि0 महमदपुरा पुलिस थाना–रूदावल बयाना	अवैध वन उपज परिवहन	11000/-
24	67/18 दिनॉक 26.06.2024	श्रीफल पुत्र श्री मन्नी जाति गुर्जर नि0 समोगर पुलिस थाना– सदर बयाना बयाना	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	125000/-
25	66/41 दिनॉक 26.06.2024	केशव पुत्र श्री रामप्रसाद जाति गुर्जर नि0 डुमरियापुलिस थाना– रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	51000/-
26	66/42 दिनॉक 26.06.2024	सुगरसिह पुत्र श्री बन्नी जाति गुर्जर नि0 सिघनिया पुलिस थाना– गढीबाजना	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	51000/-
27	66/43 दिनॉक 27.06.2024	कपूर. पुत्र श्री रामप्रसाद जाति कुशवाह नि0तिर्घरा पुलिस थाना– रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
28	66/44 दिनॉक 27.06.2024	बनवारी पुत्र श्री बावूलाल जाति कुशवाह नि0 तिर्घरा पुलिस थाना– रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
29	66/45 दिनॉक 27.06.2024	प्रेमसिह पुत्र श्री रामबीर जाति रातपूत नि0घाना खेरली पुलिस थाना– रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
30	67/18 दिनॉक 27.06.2024	रामकिशन पुत्र श्री उगना नि0 बंशा पुलिस थाना– कोटडी भीलबाडा	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	विभाग में विचाराधीन
		कुल मुआवजा राशि		1026000

2. अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु लिखित में 24 घण्टे के लिए स्टाफ को मुख्य जगहों पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु पाबन्द किया गया है।

3. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में पिछले 02 वर्षों की अवधि में लगभग 03 किमी पक्की दीवार एवं 200 हैक्टेयर प्लान्टेशन कराकर वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से सुरक्षित किया गया है।

4. भरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला कलक्टर भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग एवं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी उपस्थित हुये। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्यवाही कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिये गये तथा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 12.04.2024 **(एनेक्चर–1)** एवं जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 13.04.2024 **(एनेक्चर–2)** की प्रति संलग्न हैं।

5. जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश संख्या दिनांक 13.04.2024 की पालना में उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं खनि अभियंता भरतपुर, सहायक खनि अभियन्ता रूपवास एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बंध बारैठा अभयारण्य मय स्टॉफ द्वारा दिनांक 17.04.2024 को वन्यजीव बंध बारैठा के अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र गढी बाजना एवं दर्रबराहना क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर कोई वाहन, मशीन, मजदूर इत्यादि नहीं पाये गये तथा अवैध खनन नहीं पाया गया। विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों एवं लिप्त कच्चे रास्तों पर खाई खोदकर रास्ते बंद किये गये है तथा पाया कि उक्त क्षेत्र में काफी समय में अवैध खनन/निर्गमन बंद है।

6. बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु उप वन संरक्षक वन्यजीव,भरतपुर द्वारा आरएसी के जाब्ता हेतु पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस कार्यालय के पत्र कमांक 4855 दिनांक 22.09.2023, 6276 दिनांक 14.12.2023, 281 दिनांक 23.01.2024, 395 दिनांक 25.01.2024, 1485 दिनांक 12.03.2024, 3488 दिनांक 02.05.2024 द्वारा बार–बार अनुरोध किया गया है जिसके कम में पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर के पत्र कमांक 9997–10003 दिनांक 17.05.24 से "सी" कम्पनी 14वीं आरएसी की एक प्लाटून दिनांक 17.05.24 को उपलब्ध कराई गई एवं पत्र कमांक 4113 द्वारा दिनांक 18.06.2024 द्वारा पुनः आरएसी जाब्ता हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर को निवेदन किया गया जिसके कम में 14वीं आरएसी की एक बटालियन प्लाटून दिनांक 19.06.2024 को उपलब्ध करवाई गई।

7. क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्तीदल को क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बारैठा के साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

8. बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से गश्त की जा रही है एवं अंतिम बार दिनांक 11.06.2024 को संयुक्त रूप से गश्त की गई है।

9. जिला कलेक्टर, भरतपुर के आदेश कमांक 47 दिनांक 13.4.2024 की पालना में अधीक्षण खनि अभिन्यता भरतपुर एव उप वन संरक्षक, भरतपुर तथा दोनों विभागों के अन्य अधिकारियों के साथ बन्धबारैठा अभ्यारण एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में वनखण्ड बंशीपहाडपुर में मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कहीं कहीं अवैध खनन के निशानात पाये गये परन्तु मौके पर कहीं भी अवैध खनन होता हुआ नही पाया गया। कुछ लीज धारकों द्वारा अवैध रूप से सेफटी जोन एवं वनक्षेत्र में डम्पिंग किया जा रहा था। जिस पर कार्यवाही कर एक डम्पर एवं एक

हाइड्रा क्रेन जप्त कर तथा एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की गई। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 8.6.2024 संलग्न है।**(एनेक्चर–3)**

10. वनक्षेत्र भरतपुर बंशीपहाडपुर A & B में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु कार्यालय पत्रांक 4785 दिनांक 11.6.24 **(एनेक्चर–4)** द्वारा पुलिस अधिक्षक भरतपुर को निवेदन किया गया है। जिसके क्रम में पुलिस अधिक्षक भरतपुर द्वारा उनके पत्रांक 11982–87 दिनांक 5.7.24 **(एनेक्चर–5)** द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्थान जयपुर को RAC जाप्ता स्थायी रूप से आवंटित करने हेतु निवेदन किया गया है।

11. माइनिंग विभाग भरतपुर द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट संलग्न है। **(एनेक्चर–6)**

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(जी0के0वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) विधि / उ.व.स. / 2024 / दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.मुख्य वन सरंक्षक भरतपुर।
2.जिला कलेक्टर भरतपुर
3. खनि अभियन्ता भरतपुर
4. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

उप वन सरंक्षक
भरतपुर

Annex 6 Anx-(1)

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में भरतपुर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक दिनांक 12.04.2024 का कार्यवाही विवरण

भरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में प्रपत्र "अ" के अनुसार अधिकारीगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम जिले में संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संचालित विविध गतिविधियों की समीक्षा/चर्चा करते हुये अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान करते हुये उनकी कठोरता से पालना की अपेक्षा की गई:-

क्र0 सं0	चर्चा के बिन्दु	निर्णय	पालना हेतु जिम्मेदार अधिकारी
1	माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में	• माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ मे अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण बयाना तहसील के वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर दिनांक 15.04.2024 तक वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित विभागों से वांछित पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण में नियत दिनांक को प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। पालना रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल प्राप्त	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by Atul Yadav
Designation : Collector & District Magistrate

		पृथक से जारी किये जायें। • माननीय अधिकरण द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान एवं मुख्य वन संरक्षक वन विभाग को दो उच्च विभागीय उच्च अधिकारियों को नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो उक्त प्रकरण में जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही, अवैध खनन का नियंत्रण एवं चैक तथा अवैध खनन से राज्य सरकार को हुयी नुकसानी की वसूली की कार्यवाही करेंगे। अतः इस सम्बंध में माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बंध में उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर को माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से सम्पर्क/पत्राचार कर माननीय मुख्य सचिव महोदय से समन्वय कराते हुये निर्देशानुसार दो विभागीय उच्चाधिकारियों कों नामित कराने हेतु निर्देशित किया गया।	उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर,
2	माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या ओए 96/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के संदर्भ में।	• माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 96/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के संदर्भ में अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण रूपवास तहसील के बंशीपहाडपुर क्षेत्र के वन क्षेत्र में सैण्ड स्टोन की अवैध एवं अनाधिकृत खनन गतिविधियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 11.07.2024 है। प्रकरण में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 तक आवश्यक रूप से तैयार करेंगे साथ ही उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर संबंधित विभागों	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by A... Yadav

		-प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से सम्पर्क कर पुलिस बल प्राप्त करें। प्रकरण में कमेटी गठन आदेश पृथक से जारी किये जावें।	
3	माननीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन उक्त दोनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत विभागीय अधिकारियों को निर्देश	• चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम से सम्बंधित है इसलिये इसकी रोकथाम का मुख्य दायित्व वन विभाग का है फिर भी वन विभाग भरतपुर एवं खनिज विभाग भरतपुर संयुक्त रूप से चैकपोस्ट स्थापित करें तथा अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाये जावें ताकि वन भूमि से अथवा अन्य स्थानों से अवैध खनन के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लग सके। • जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करें तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों का चिन्हीकरण करें तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ओवर लोडिंग वाहनों एवं बिना नम्बरों के संचालित वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे। ट्रेक्टरों के साथ ट्रोली पर आर०सी० नम्बर लिखवाने हेतु सम्बंधितों को पाबंद करें । • पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वन एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में चैक पोस्ट स्थापित किये जाने बाबत आर०ए०सी० का नियमानुसार जाब्ता उपलब्ध करावें तथा अवैध खनन/निर्गमन सम्बंधी प्रकरणों में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अवैध खननकर्ताओं में भय व्याप्त हो सके। • चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बंधित है इसलिये माननीय हरित प्राधिकरण में जो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावेगा वह वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बन्ध	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by Amit Yadav
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.[illegible] 9.41.58 IST
Reason: Approved

		प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से सम्पर्क कर पुलिस बल प्राप्त करें। प्रकरण में कमेटी गठन आदेश पृथक से जारी किये जावें।	
3	माननीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन उक्त दोनों प्रकरणो में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत विभागीय अधिकारियों को निर्देश	• चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम से सम्बंधित है इसलिये इसकी रोकथाम का मुख्य दायित्व वन विभाग का है फिर भी वन विभाग भरतपुर एवं खनिज विभाग भरतपुर संयुक्त रूप से चैकपोस्ट स्थापित करें तथा अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें ताकि वन भूमि से अथवा अन्य स्थानों से अवैध खनन के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लग सके। • जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करें तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों का चिन्हीकरण करें तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ओवर लोडिंग वाहनों एवं बिना नम्बरों के संचालित वाहनों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे। ट्रेक्टरों के साथ ट्रोली पर आर0सी0 नम्बर लिखवाने हेतु सम्बंधितों को पाबंद करें । • पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वन एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में चैक पोस्ट स्थापित किये जाने बाबत आर0ए0सी0 का नियमानुसार जाब्ता उपलब्ध करावें तथा अवैध खनन/निर्गमन सम्बंधी प्रकरणों में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अवैध खननकर्ताओं में भय व्याप्त हो सके। • चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बंधित है इसलिये माननीय हरित प्राधिकरण में जो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावेगा वह वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बंध	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by Amit Yadav
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.[illegible] [illegible]9.41.58 IST
Reason: Approved

		वन विभाग सम्बंधित अन्य विभागों से समन्वय कर वांछित रिपोर्ट प्राप्त करें। • लीज धारको द्वारा टीटीजेड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर को निर्देशित किया गया।	
4	समन्वयन व जनसूचना	समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये कि अवैध खनन की प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभागों से आपस में समन्वय बनाया जावे तथा की गई कार्यवाही बाबत प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।	पुलिस अधीक्षक भरतपुर/ उप वन संरक्षक भरतपुर /अधीक्षण खनिज अभियंता, खनि0अभियंता भरतपुर / जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भरतपुर

अतः उक्त दोनों प्रकरणों में वन विभाग के द्वारा प्रभारी अधिकारी केस की नियुक्ति करावें एवं सम्बंधित विभागों से प्रगति/पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष पैरवी/जबाव प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही करें।

बैठक में उपस्थित सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को हिदायत भी दी गई कि वे प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों से पूर्ण सहयोग लेकर अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/11(2)2024/ 1790-1831

दिनांकः 13/4/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, खान विभाग राज0 जयपुर।
3. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राज0 जयपुर।
4. श्रीमान संभागीय आयुक्त, संभाग भरतपुर।
5. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
7. उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
8. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर/अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता भरतपुर
9. खनि0 अभियन्ता, भरतपुर/सहायक खनि अभियंता रूपवास
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।
12. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त..................
13. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर

RajKaj Ref
6613187

Signature valid
जिला कलक्टर
Digitally signed by ... Yadav
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.1? 19:41:58 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

क्रमांकः–

दिनांकः–

उपस्थिति प्रमाण पत्र

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम बाबत् गठित जिला स्तरीय एस.आई.टी. कमेटी की मीटिंग दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे जिला कलेक्टर समागार, भरतपुर में आयोजित की गई, जिसमें एस.आई.टी. कमेटी के निम्न सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी/पदनाम	विभाग	मोबाईल नम्बर
1	Dr Amit		
2	Shweta Yadav	DM Bharatpur	9996237788
3	G K Verma, DCF WL Bharatpur	ADM City	7597421555
4	B.L Verma ACF W.L Bharatpur	Bharatpur	9414341007
5	Lalit Kumar Gupta		6350334882
6	Umesh Kr.	Transport	9829281332
7	Rajendra Singh	RPCB,	9809508226.
8	Harish Goyal	Mines	7742261797
9	Manoj Kr. Tanwar	Mines	9414332825
10	Dr. Lal Chand Kayal	AME Railways Mines Add SP BPR	9828116972 9414073562

(~~Annex. 7~~) Anx-2

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः राजस्व / 12 / 11(2)2024 / 418- दिनांक 13/4/2024

आदेश

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये निम्न अधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बाबत वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया जाता है :-

1. उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर।

उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 15.04.2024 तक तैयार करेंगे तथा उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित विभागों से भी पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल प्राप्त कर सकते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांकः राजस्व / 12 / 11(2)2024 / 1841 - 1849 दिनांकः 13/4/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2. उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
3. उपखण्ड अधिकारी बयाना/रूपवास
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।

RajKaj Ref
6613251

जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by A... Yadav
Designation: Coll... & District Magistrate
Date: 2024.04.... 9:41:57 IST

Annx-3

राजस्थान सरकार

संयुक्त जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 8/06/2024 को निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्रीमान जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/12/11(2) 2024/47 दिनांक 13.04.2024 की पालना मे माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या 96/2023 (2) याडराम बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना मे ग्राम वंशीपहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर मे अवैध खनन/निर्गमन की जांच बाबत मौके पर पहुंचे। उक्त क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 41 प्लाट A व B ब्लाक में कुल क्षेत्रफल 398.0085 हेक्टेयर के नीलाम किये गये थे जो प्रभावशील है। मौके पर सर्वप्रथम प्लाट संख्या 9 को देखा गया तो उनके द्वारा मलबे की डम्पिंग आंशिक रूप से वनभूमि में किया जाता पाया गया तथा मौके पर डम्पिंग हेतु प्रयोग में लिये जा रहे है एक डम्पर RJ14 GP 1214 है। तथा एक हाइड्रा क्रेन रजिस्ट्रेशन इंजन नम्बर E 3676768 को मौके पर वन विभाग द्वारा फोरेस्ट एक्ट मे जब्त कर पुलिस थाना रुदावल की सहायता से वनपाल नाका वंशीपहाड़पुर ले जाया गया तथा वन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा ग्राम वंशीपहाड़पुर के वन क्षेत्र को देखा गया तो पाया की वनभूमि में खनिज सेन्डस्टोन के अवैध खनन के निशानात पाये गये तथा अधिकांश रास्तो पर अवैध खनन कर्ताओ द्वारा केवल डम्प/ब्लोक इत्यादि से पिटो के अन्दर जाने के

SMF वंशीपहाड़पुर R.O Bayana SMP Amit Kapoor 08/06/2024 SME, Bharatpur G.K. Verma DCF Bharatpur

Anx-(4)

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( )/विविध/उवस/24-25/4785 दिनांक 11/6/24

निमित्त

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

विषयः- अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु आर.ए.सी. जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस वनमण्डल की रेंज बयाना अन्तर्गत वनखण्ड बंशी पहाडपुर ए एवं बशीपहाडपुर बी सैण्ड स्टोन के अवैध खनन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। विभागीय स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गस्त कर अवैध खनन की रोकथाम की जा रही है। अवैध खनन के रास्तो पर खाईयां भी खुदवाई जाती है, परन्तु अवैध खननकर्ताओं द्वारा उन्हें पुनः भर दिया जाता है। अवैध खननकर्ताओं के साथ कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जो हथियारों से लैस भी होते हैं, ऐसी स्थिति में रात के समय गस्त कर अवैध खनन रोकना तथा अवैध खननकर्ताओं को एवं प्रयुक्त वाहनों को जप्त कर लाना अत्यन्त मुश्किल एवं खतरनाक होता है। इसके अतिरिक्त अवैध खननकर्ता विभागीय गस्त की जानकारी होने पर तत्काल रास्तों में सैण्ड स्टोन के बडे-बडे ब्लॉक डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर देते हैं, जिससे आगे बढना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पुलिस को साथ लेकर भी गस्त की जाती है, परन्तु प्रतिदिन पुलिस सहायता मिलना भी संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में स्थायी रूप से आर.ए.सी. जाप्ता का कैम्प करना आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र से अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्णरूप से विराम लगाया जा सके।

अतः निवेदन है कि अवैध खनन रोकथाम हेतु आर.ए.सी. जाप्ता (40 जवान) उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

भवदीय

(जी.के.वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ ( )/विविध/उवस/24-25/4785-86 दिनांक 11/6/24

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. जिला कलेक्टर, भरतपुर।

(जी.के.वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

Anx—(5)

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर

क्रमांक :— 11982-87 दिनांक :— 05/07/24

श्रीमान् अति0 महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून—व्यवस्था,
राज0 जयपुर।

विषय :— अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु जाब्ता उपलब्ध कराने बावत।
प्रसंग :— मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के कार्यालय पत्रांक 3946—59 दि0 02.07.24 एवं महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर के कार्यालय का पत्रांक 616—17 दि0 04.07.24 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वनक्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील क्षेत्र है । वन क्षेत्र में स्थानीय आदतन अवैध खननकर्ताओं द्वारा देर—सवेर अवैध खनन किया जाता है तथा पकडे जाने पर स्थानीयजन के सामूहिक रूप से विरोध करने एवं वन अपराध में लिप्त वाहन को नाका/रेंज तक नही लाने दिया जाता है। वन क्षेत्रों में स्थानीय आदतन अपराधियों के अतिरिक्त खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही नही हाने के कारण वनकर्मियों का मनोबल गिरता है। जिसके लिए आर0ए0सी0 का जाप्ता स्थायी रूप से आवंटित कराने हेतु निवेदन किया है।

उक्त पत्र मूल ही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मृदुल कच्छावा)
जिला पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सतर्कता, राज0 जयपुर।
3. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।
4. जिला कलक्टर भरतपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक भरतपुर।

जिला पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

विवक्षं

3994 5-7-24 1993 6-7-24

6/7/24

Amx-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांकः–सखअ / रूप / भरत / एन.जी.टी. / 2024 / 1500 दिनांक :–05.07.2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक
वन विभाग, जिला–भरतपुर।

विषयः– माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए. 96 / 2023 यादराम बनाम राजस्थान सरकार में आगामी तिथि दिनांक 11.07.2024 एवं दिनांक 21.03.2024 में पारित निर्णय पालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए. 96 / 2023 यादराम बनाम राजस्थान सरकार बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के समक्ष उक्त प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 11.07.2024 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। बंशीपहाडपुर क्षेत्र मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य व वन क्षेत्र है तथा माननीय एन.जी.टी. में दर्ज उपरोक्त प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बन्धित है जिसके सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर के प्रासंगिक आदेश दिनांक 25.06.2024 से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बाबत् वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु आप श्रीमान् उप वन संरक्षक भरतपुर को नामित किया गया है।

श्रीमान् से निवेदन है कि इस विभाग द्वारा उपखण्ड स्तर पर गठित एस.आई.टी. कमेटी व स्वयं के स्तर से बंशीपहाडपुर क्षेत्र में अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम के विरूद्व निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंशीपहाडपुर क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा बंशीपहाडपुर क्षेत्र में बोर्डर होमगार्ड की एक संयुक्त चैक पोस्ट स्थापित की गई है (प्रति संलग्न है) जिससे उक्त क्षेत्र में अवैध खनन / निर्गमन पर अंकुश लगा है। साथ ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के आदेशानुसार बंशीपहाडपुर क्षेत्र में ए ब्लॉक में बन्द पडे हुये खनन पट्टा संख्या 80 / 1980 श्री बेताल सिंह में आरएसी के जवान अस्थाई रूप से नियोजित किये गये तथा उक्त क्षेत्र में दिनांक 01.07.2024 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी रूपवास, श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षण रूपवास मय जाब्ता एवं इस कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से बंशीपहाडपुर क्षेत्र में चैकिंग की गई। वक्त चैकिंग अवैध खनन कार्य बन्द पाया गया तथा स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य चालू पाया गया। (प्रति संलग्न)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय स्तर से भी अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम बावत् निरन्तर चैकिंग कर निगरानी रखी जा रही है। दिनांक 09.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2024, 02.04.2024, 07.04.2024, 15.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 05.5.2024, 08.05.2024, 16.05.2024, 08.06.2024, 12.06.2024 की मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। दिनांक 25.04.2024 को उक्त क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन का खनन पटटा संख्या 787 / 03 जो वर्तमान में पर्यावरण अनुमति के अभाव में बन्द है, में अवैध खनन पाया जाने पर मौका पंचनामा बनाया जाकर 985.6 टन की दस गुणा शास्ति राशि रूपये 23,65,440 /– एवं कम्पाउण्ड राशि रूपये 20,000 /– कुल शास्ति राशि रूपये 23,85,440 /– की मॉग कायम की गई है।

विधि
8/7/24

उक्त क्षेत्र में 21.03.2024 से आज दिनांक तक अवैध निर्गमन के विरूद्व निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की गई है जिसका विवरण निम्न है :—

क्र. सं.	अवधि	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफ. आई. आर.
1	21.03.2024 से 05.07.2024 तक	2	25	27	7.46	7

अतः श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के प्रासंगिक पत्र की पालना में इस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट को माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में अग्रिम तिथि दिनांक 11.07.2024 को राज्य सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार तँवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

क्रमांकः—समसंख्यक / 1501-1506

दिनांकः—05.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू—विज्ञान विभाग, कोटा जोन कोटा।
4. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, भरतपुर—वृत, भरतपुर।
5. श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर।
6. श्रीमान् खनि अभियन्ता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, भरतपुर।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :–सखअ/रूप/भरत/अनाधिकृत /2024/474 दिनांक :–09/05/2024

श्रीमान उपवन संरक्षक
भरतपुर।

विषय :– ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र में अवैध खनन रूकवाने बावत्।

प्रसंग :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में प्रकरण संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में प्रकरण संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.03.2024 पारित किया गया है। (प्रति संलग्न) उक्त प्रकरण मुख्यतः ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के वन क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के अवैध खनन से सम्बन्धित है। चूंकि उक्त प्रकरण में मुख्यतः वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित की जानी है। तथा माननीय मुख्य सचिव के परिपत्र दिनांक 09.02.2012 तथा 05.07.2021 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए सम्बन्धित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उपवन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगें। (प्रति संलग्न)

अतः निवेदन है कि उक्त परिपत्रों के अनुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम किया जाना सुनिश्चित करावें। इस कार्यालय से कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो तो कृपया अवगत करायें। यह विभाग अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

ज्ञात रहे उक्त प्रकरण में अग्रिम तिथी 11.07.2024 है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

कमांक :– संमसंख्यक/475-479 दिनांक :– 09/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर वृत भरतपुर।
4. श्रीमान खनि अभियन्ता,भरतपुर।
5. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी, रूपवास।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

NGT
11/3/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता

रूपवास

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/03/2024 को पुलिस थानाधिकारी, रुदावल की सूचना पर बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में DST टीम भरतपुर के साथ संयुक्त रूप से अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध औचक चैकिंग की गई जहाँ पर निकट चामड़ माता मन्दिर छभवा मोड़ के पास अवैध खनन/निर्गमन पाया जाने पर संयुक्त टीम द्वारा 1 LNT मशीन, 1 ट्रैक्टर दो हाइवा डम्पर व एक ट्रैक्टर मय पम्प सेट (पानी वाला) को जब्त जब्त किया जाकर पुलिस थाना रुदावल के अर्न्तगत आने वाली पुलिस चौकी - बन्ध बरैठा पर सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना में पुलिस थानाधिकारी द्वारा पुलिस की तरफ से उक्त वाहनों के मालिक/चालक/आरोपी व अन्य अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध FIR NO - 88/2024 दर्ज की गई एवं खान विभाग के ~~पृथक से~~ मौका पंचनामा कार्यवाही हेतु पृथक से लिखा गया।

मौका रिपोर्ट मौके पर बनाकर हस्ताक्षर किये गये।

(श्रीनाथ चौधरी)
SMFI

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II
AME office Roopwas

राजस्थान सरकार

कार्यालय: सहायक खनि. अभियन्ता/ कपतान भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 22/03/2024 को कार्यालय पत्र की पालना में मय सरकारी वाहन, बोर्डर होमगार्ड जाब्ते के निम्न ग्राम पथरीपहाड़ पुर व निरोध क्षेत्र में सम्भावित अवैध खनन/ निर्गमन में प्रयुक्त किये जाने वाले रास्तो पर चैकिंग की गई कोई वाहन अवैध खनिज निर्गमन/ खनन में लिप्त नहीं पाया गया एवं खनन पट्टा संख्या 393/09 के सीमार्क सत्यापन हेतु पट्टेधारी को मौके पर बुलाया गया व कार्यालय से प्राप्त विवरण द्वारा अक्षांश सीमार्क चिन्हित किये गये। तथा पट्टेधारी को पक्के सीमार्क नियमानुसार बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
MF II

(ओमसिंह चौधरी)
SMF I

NGT
22/3/24

N47
28/3/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

संयुक्त मौका रिपोर्ट

रूपवास आज दिनांक 23/03/2024 को सहायक खनि अभियन्ता के आदेशानुसार, बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की शिकायत पर उपवन संरक्षक, भरतपुर क्षेत्रीय वन अधिकारी मय कार्मिक व खान विभाग के कार्मिक मय भारते के साथ संयुक्त रूप से बंशीपहाड़पुर के B-Block में औचक चैकिंग की गई वक्त चैकिंग Diversion (वन विभाग से) हेतु प्रस्तावित खनन पट्टे में कोई मशीनरी/वाहन/खनन मजदूर खनन/निर्गमन में लिप्त नहीं पाये गये। परन्तु खनन पिटों में खनन के ताजा निशानात पाये गये। जिस पर DFO, भरतपुर के निर्देशानुसार वन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध खनन पिटों को जाने वाले रास्तों को कटवाया व अवरुद्ध करवाया गया साथ ही DFO साहब द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कार्मिकों को हिदायत दी गई कि वे वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि में अवैध खनन/निर्गमन न हो ये ~~सुनिश्च~~ सुनिश्चित करें व क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन न हो इस बाबत नियमित चैकिंग करते रहें। एवम् साथ ही खान विभाग की आवश्यकता होने पर समय-2 पर सहयोग लिया जाकर अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

(मोहित चौधरी)
SMFI

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II
Ame office Roopwas

राजस्थान सरकार

कार्यालय - सहायक खनि. अभियन्ता रूपवास भरतपुर

मौका रिपोर्ट

26/3/24

आज दिनांक 26/03/2024 को कार्यालय पत्रों की पालना में मिलकर ग्राम बरौलीपहाड़ पर - महलपुर चूरा तहसील रूपवास में अवैध खनन / निर्गमन के विरुद्ध चैकिंग मय सरकारी वाहन व बोर्डर होमगार्डों के की गई। व क्षेत्र में खनिज सेन्ड स्टोन के प्रभावशाली खनन पट्टों के आस-पास सम्भावित अवैध खनन स्थलों को देखा गया। मौके पर अवैध खनन बन्द पाया गया व कोई मशीनरी / मजदूर नहीं पाये गये। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों व अन्य को हिदायत दी गई कि क्षेत्र में अवैध खनन नहीं किया जावे। यदि कोई व्यक्ति / मशीन अवैध खनन के लिए पाई गई तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात डायवर्टेड माईन Block B में पिलर चिन्हित कर पिलर बनवाने की कार्यवाही करवाई गई।

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II

(भीमसिंह चौधरी)
SMF I

राजस्थान सरकार

कार्यालय - सहायक खनि अभियन्ता रूपवास

मौका रिपोर्ट

NCT 28/3/24

आज दिनांक 27/03/2024 को कार्यालय पत्रों की पालना में निकट ग्राम बंशी पहाड़पुर ब्लॉक A व B के आस पास सरकारी वाहन मय ड्राईवर होमगार्ड के चैकिंग की गई। मौके पर कोई वाहन/मशीनरी मजदूर इत्यादि अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त नहीं पाये गये तथा दिनांक 23/03/2024 को DFO साहब के साथ संयुक्त चैकिंग के दौरान Block B में अवैध खनन/निर्गमन में प्रयुक्त करवाये गये रास्तों को पुनः देखा गया जो यथा स्थिति में अवरुद्ध पाये गये जिससे अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लगा हुआ है।

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II

(भीम सिंह चौधरी)
SMF I

नं 67
24/4/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 02/04/2024 को सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास के आदेशानुसार निकट ग्राम - बंशीपहाड़ पुर, तहसील - रूपवास, जिला - भरतपुर में आरक्षित बाउन्ड्री के पिलरों का चिन्हीकरण का कार्य किया गया एवम् बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध औचक चैकिंग की गई जहाँ पर चैकिंग के दौरान अवैध खनन/निर्गमन होना नही पाया गया।

रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गये,

(वीरेन्द्र कुमार) 2/4
MF II
Ame office Roopwas

(भीमसिंह चौधरी)
SMF I
Ame office, Roopwas

NGT
9/4/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 07/04/2024 को कार्यालय के आदेशों के क्रम में निकट ग्राम- वंशीपहाड़पुर के A block व B- Block में खनन पट्टों के आस-पास सम्भावित अवैध खनन स्थलों का विभागीय टीम मय बार्डर होमगार्डों के औचक निरीक्षण किया गया जहाँ पर वक्त निरीक्षण अवैध खनन स्थलों पर कोई मशीनरी/वाहन/ खनन मजदूर अवैध खनन/ निर्गमन कार्य में लिप्त नहीं पाये गये। तत्पश्चात डार्मवर्जन सेल के पिलरों के चिन्हीकरण कर पक्के पिलर बनवाने हेतु कहा गया।

रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गये।

(वीरेन्द्र कुमार) 07/04/24
Ame offic
Roopwas

(भीम सिंह चौधरी)
SMFI
Ame office
Roopwas

N 47
16/4/24

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 15/04/2024 को कार्यालय के पत्रों की पालना में निकट ग्राम- बसीपहाड़पुर, तह- रूपवास, जिला- भरतपुर के B- block में डायवर्जन क्षेत्र के पिलरों के सत्यापन का कार्य किया गया।

तत्पश्चात सरकारी वाहन मय वार्ड होमगार्डों के साथ छऊवा मोड के आस- पास डायवर्टेड क्षेत्र व वनभूमि के सम्भावित अवैध खनन स्थलों का मौका देखा गया। औचक निरीक्षण किया जहाँ पर मौके पर कोई वाहन/मशीनरी/खनन मजदूर अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त नहीं पाये गये। परन्तु अवैध खनन स्थलों पर खनन के निशानात पाये गये। आस- पास के ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कहा गया रात्रि में चोरी- छुपे, प्रशासन की रैकी कर अवैध खनन कार्य होता है।

उक्त सम्भावित अवैध खनन स्थलों के रास्ते दुर्गम होने के कारण सरकारी वाहन आसानी से पहुँच नहीं पाता है उक्त क्षेत्र उत्तर-प्रदेश सीमा के समीपस्थ होने के अवैध खननकर्ता मौका पाकर UP सीमा में भाग जाते हैं। उक्त क्षेत्र संवेदनशील है क्योंकि पूर्व में विभाग द्वारा कार्यवाही के दौरान डकैतों द्वारा अप्रिय घटना विभाग की टीम पर की जा चुकी है।

अतः उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन पर पूर्ण अंकुश लग सके इस हेतु छऊवा मोड के आस-पास अस्थाई पुलिस चौकी/अस्थाई RAC चेक पोस्ट लगवाई जाय जिससे अवैधखननकर्ताओं में भय व्याप्त होगा व अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लग सके।

रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गये।

(ओमसिंह चौधरी)
SMF I

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II

1567
26/4/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय, सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 25/04/2024 को सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास के आदेशानुसार निकट ग्राम- बंसीपहाड़पुर तह- रूपवास, जिला- भरतपुर में वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से Diverted boundry के पिलरों को सत्यापन की कार्यवाही के दौरान B block में स्थित क्वारी-74 के पास दूर से खनन कार्य होता दिखाई दिया जिसका मौके पर पहुँचकर जाँच की गई तो ML No-787/03 में वर्तमान में ~~विभागीय~~ खनन/निर्गमन कार्य की विभाग द्वारा अनुमति दी हुई नहीं पाये जाने पर मौके पर कार्यवाही करते हुये मौका पंचनामा बनाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई। मौका पंचनामा/फर्द जब्ती पृथक से तैयार की गई।

मौका रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गये।

(श्री [illegible] चौधरी)
SMFI

(वीरेन्द्र कुमार) 25.4.24
MFII

N57
30/4/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

संयुक्त मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 30/04/2024 को सहायक खनि अभियन्ता के आदेशानुसार निकट ग्राम - बसीपत्तापुर के A-block में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बयाना मय कार्मिक, वन विभाग के सर्वेयर व ~~खनि~~ खान विभाग, रूपवास द्वारा Diversion क्षेत्र के पिलरों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा था जहाँ पर एक डैम्पर मय कम्प्रेशर के खनन कार्य में लिप्त पाया जाने पर संयुक्त टीम द्वारा जाँच की गई तो कम्प्रेशर-डैम्पर वन विभाग के भूमि में खनन निर्गमन में लिप्त पाया जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा डैम्पर-कम्प्रेशर को जब्त-सरकार किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पन्न की गई।

मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की जाकर हस्ताक्षर किये गये।

(ओमसिंह चौधरी)
SMF I

30/04/24
(वीरेन्द्र कुमार)
MF II
कार्यालय सहायक खनि
अभियन्ता, रूपवास

NGT
08/05/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय - सहायक खनि. अभियन्ता रूपवास भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 5/05/2024 को कार्यालय पत्र की पालना में निकट ग्राम बंशीपहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के ब्लॉक A व B खनन क्षेत्रो के आस-पास चैकिंग की गई कोई वाहन अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त नहीं पाया गया। तत्पश्चात संवेदनशील अवैध खनन/निर्गमन क्षेत्र छऊआ मोड से सिधानिया सिरौंधी मोड़ डायवर्टेड मार्ग क्षेत्र व वन क्षेत्रो का मौका देखा गया / जगह-जगह कई स्थलो पर निशानात पाये गये मौके पर कोई वाहन मशीनरी नहीं पाये गये अत: उक्त क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां चोरी-छुपे अवैध खनन/निर्गमन किया जाता है तथा जानकारी करने पर जानकारी में आया की विभागीय व सरकारी वाहनो की निगरानी हेतु मुखबीर घुमते है व क्षेत्र U.P बोर्डर के नजदीक है तथा मुखबीर अपराधी प्रवृत्ति के है इसलिये उक्त क्षेत्र मे अवैध खनन/निर्गमन को बन्द करवाने वास्ते RAC चौकी स्थापित कराने का श्रम कराके एक चौकी स्थापित कराना उचित होगा।

(वीरेन्द्र कुमार)
MF II

(भीमसिंह चौधरी)
SMF I

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :–सखअ/रूप/भरत/एनजीटी 96/23/2024/726 दिनांक :– 17.05.2024

State Level Environment Impact,
Assessment Authority, Rajasthan,
Room No. 11 Aravalli Bhawan,
Jhalana Institutional Area Jaipur

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 96/23 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में खनन पटटाधारियों के सम्बन्ध में आप द्वारा जारी की गई पर्यावरण अनुमति (EC) की पालना चैक/सत्यापित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आप द्वारा ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास की जारी की गई पर्यावरण अनुमति के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18.05.2021 से बंशीपहाडपुर क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर का ई.एस.जेड़.डी–नोटिफाईड किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.06.2021 से बंशीपहाडपुर क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के डायवर्जन की प्रथम स्तरीय अनुमति एवं दिनांक 11.03.2022 से द्वितीय स्तरीय अनुमति जारी की गई। बंशीपहाडपुर क्षेत्र के वन ब्लॉक ए व बी क्षेत्रफल 398.0085 हैक्टेयर में 41 प्लॉट डेलिनियेट किये गये, उक्त 41 प्लॉटों का ई–ऑक्शन किया गया जिसमें कुल बोली 163.94 करोड़ रूपये प्राप्त हुई। उक्त प्लॉटों में पर्यावरण विभाग/स्टेट एनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथोरिटी (SEIAA) से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय प्रस्तुत की गई है।

जिसके कम में 40 खनन पटटाधारियों द्वारा संविदा निष्पादन करवा लिया गया है तथा 25 प्लॉटों में मौके पर खनन कार्य चालू है। पर्यावरण अनुमति में वर्णित शर्तो की पालना करने के लिए सभी खनन पटटाधारी बाध्य है। जिस हेतु दिनांक 25.04.2024 व 29.04.2024 से सभी खनन पटटाधारियों को कार्यालय स्तर से वार्षिक पालना करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिसकी पालना में 20 खनन पट्टाधारियों द्वारा कार्यालय में दिनांक 16.05.20245 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है (प्रति संलग्न)। उक्त पालना रिपोर्ट में पटटाधारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रति 6 माह पर्यावरण अनुमति की पालना रिपोर्ट लगातार रूप से आपके कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये प्रति केन्द्र व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में विचाराधीन ओ.ऐ. संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 21.03.2024 में दिये गये निर्देशो के क्रम में श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को बैठक आयोजित की गई। उक्त प्रकरण मुख्यतः ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास में खनिज सैण्डस्टोन के अवैध खनन व स्वीकृत खनन पटटों में पर्यावरण अनुमति की पालना से सम्बन्धित है। जिसमें आपको भी माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त प्रकरण में अग्रिम तिथि 11.07.2024 नियत है।

RajKaj Ref
7279995

Signature valid

Digitally signed by Manoj Kumar Tanwar
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.17 14:3?:03 IST
Reason: Approved

अतः निवेदन है कि प्रकरण में आपके स्तर से ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास के 20 खनन पटटाधारियों के सम्बन्ध में जारी की गई पर्यावरण अनुमति की पालना रिपोर्ट को चैक/सत्यापित कराने का श्रम करावें। शेष रहे खनन पटटों की पालना रिपोर्ट भी प्राप्त होते ही आपको अलग से भिजवा दी जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंवे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :–सखअ/रूप/भरत/एनजीटी 96/23/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
4. श्रीमान खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
5. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर

RajKaj Ref
7279995

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Tanwar
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.17 14:3?:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

संयुक्त जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 8/06/2024 को निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्रीमान जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/12/11(2)2024/47 दिनांक 13.04.2024 की पालना मे माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या 96/2023 (2) माडराम बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना मे ग्राम बंशीपहाड़पुर तहसील रुपवास जिला भरतपुर मे अवैध खनन/निर्गमन की जांच बाबत मौके पर पहुंचे। उक्त क्षेत्र में - खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 41 प्लाट 44B ब्लाक में कुल क्षेत्रफल 398.0085 हेक्टेयर के डीलिनियेट किये गये थे जो आवंटित हैं। मौके पर सर्वप्रथम प्लाट - संख्या 1 को देखा गया तो उनके द्वारा मलबे की डम्पिंग आंशिक रूप से वनभूमि में किया जाना पाया गया तथा मौके पर डम्पिंग हेतु प्रयोग में लिये जा रहे है एक डम्पर RJ14GP1214 है। तथा एक हाइड्रा क्रेन राजेन्द्र इंजन नम्बर E3676768 को मौके पर वन विभाग द्वारा फोरेस्ट एक्ट मे जब्त कर पुलिस थाना रुदावल की - सहायता से वनपाल नाका बंशीपहाड़पुर ले जाया गया तथा वन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बंशीपहाड़पुर के वन क्षेत्र को देखा गया तो पाया की वनभूमि में खनिज सेन्डस्टोन के अवैध खनन के निशानात पाये गये तथा अधिकांश रास्तो पर अवैध खनन कर्ताओ द्वार केवल डम्प / ब्लॉक उखाड़ी से पिटो के अन्दर जाने के

SMF ... RFO Bayana ... SME, Bharatpur 08/06/2024 ... DCF Bharatpur

Scanned with CamScanner

रास्तो को बताकर कार डिगा गया है जिससे राजकीय वाहन अधिकारी खनन क्षेत्र / पिटो के अन्दर नही जा सके। मौके पर वन क्षेत्र में एक अवैध खनन पिट में ताजा खनन के निशान! पाये गये। मौके पर कोई मशीन / औजार / व्यक्ति नही पाये गये।

मौके पर उपस्थित क्षेत्रिय वन अधिकारी नदी पहाड़पुर द्वारा बताया गया की उनके द्वारा बताया गया की उनके द्वारा वन क्षेत्र में निरन्तर गश्त कर चैकिंग की जाती है तथा दिनांक 25/5/2024 मे एक ट्रेक्टर एवं दिनांक 28/5/24 मे एक ट्रैक्टर एवं एक कम्प्रेसर उक्त वन क्षेत्र से जब्त कर वन विभाग के नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। साथ ही बताया की उक्त वन क्षेत्र काफी विस्तृत है। तथा स्थानीय व्यक्तियो द्वारा रात्री में चोरी छुपे संगठित रूप से अवैध खनन किया जाता है जिन पर समय-समय पर कार्यवाही की जाती है उक्त क्षेत्र अति संवेदनशील है। जिसमे पूर्व में भी अवैध खनन की रोकथाम की कार्यवाही करते समय खान विभाग व वन विभाग के कर्मचारीयो के साथ मारपीट व सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने की घटनाये हो चुकी है। उक्त क्षेत्र मे अवैध खनन की रोकथाम बाबत RAC की बटालियन स्थायी रूप से नियोजित किया जाना उचित होगा।

08/06/24
SME, Bharatpur
(हरीश चन्द्र गौतम)

G.K. Verma
DCF Bharatpur

09.06.24
SMF मनमोहन गौड़

RO Bayana

SMF

(आशीष)
AME Roopwas

महेश ... AME Roopwas
08/06/24

दीपक
ग्रा० ...
गाजा पंचायत ...

सौरभ मंगल
(P.S.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता रूपवास भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 12/06/2024 को कार्यालय पत्र क्रमांक स.ख रूप/भरत/अवैध खनन/2024/1167 दिनांक 11.06.24 की पालना में ग्राम पंचायत निरोंधी व पहाड़पुर में अवैध खनन बन्द करवाने बाबत के क्रम में मय पुलिस जाब्ता थाना रूदावल व वनपाल नाका बंशीपहाड़पुर के क्षेत्र में औचक चौकिंग की गई व वन विभाग/वन क्षेत्र से डायवर्जन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र 189.06 हैक्टेयर क्षेत्र व RSMML जयपुर राजस्थान के लिये रिजर्व क्षेत्र में सम्भावित अवैध खनन स्थलो का मौका देखा गया मौके पर कोई मशीनरी/औजार/सामग्री नही पाये गये एवं कई जगह क्षेत्र में अवैध खनन के निशानात व खनिज निर्गमन में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनो के परिवहन के निशानात भी पाये गये मौके पर उपस्थित वनपाल द्वारा बताया गया की पुर्व दिनो में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है मौके पर जानकारी करने पर पाया गया की अवैध खनन कर्ताओ द्वारा रास्तो में जगह-जगह मुखबीर बैठाये हुऐ है जिससे विभागीय चौकिंग दलो की सूचना पुर्व में ही मिल जाती है जिससे अवैध खनन में प्रयुक्त वाहन हाइड्रा, डम्पर, मशीनो को निकालकर आस-पास गावों या U.P बोर्डर नजदिक होने से U.P की ओर भगा ले जाते है. एव

(हस्ताक्षर)

व उक्त क्षेत्र में अवैध खनन बदमाश प्रवृत्ति के लोगो द्वारा करवाया जाता है। अधिकांश तय अपराधिक प्रवृत्ति के होने से क्षेत्र अति संवेदनशील है तथा आपसी विवाद के कारण स्थानीय ग्रामीणो द्वारा खनन कर्ताओं के नाम/पते बताने मे अनभिज्ञता जाहिर करते है। वन क्षेत्र के डायवर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 159.06 हैक्टेयर मेले वन क्षेत्र के A वनक्षेत्र में R.A.C की चौकी तैनात होने से वन क्षेत्र ब्लाक A मे अवैध खनन रुका हुआ है तथा वनक्षेत्र ब्लाक B में अवैध खनन की पुर्णतया: अंकुश लगाने हेतु वन खण्ड B मे भी R.A.C चौकी व बरालिपन लगाना आवश्यक है।

(राजेव सिंह)
12/06/24

12.06.2024
मनमोहन गोस्वि
SMF

SMF
(भीमसिंह)

605
12/6/2024

राजस्थान सरकार

मौका जाँच रिपोर्ट

आज दिनांक 01/07/2024 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रूपवास, पुलिस उप अधीक्षक रूपवास, सहायक खनि अभियंता रूपवास मय स्टाफ व पुलिस जाप्ते के साथ निकट ग्राम बंशी पहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के व महलपुर चुरा के वन क्षेत्र A व उसके आस पास अवैध खनन शिकायत की जाँच हेतु औचक निरीक्षण / चैकिंग की गई व क्षेत्र मे स्थित अवैध खनन स्थलो को देखा गया मौके पर उक्त क्षेत्र मे कोई वाहन/मशीनरी नही पायी व अवैध खनन करते हुए कोई व्यक्ति नही पाया। अवैध खनन बन्द पाया। मौके पर खनन पट्टा संख्या 33/2022 पट्टाधारी फौजदार कन्स्ट्रक्शन भरतपुर खनिज सैण्डस्टोन मे खनन स्थल को चैक किया गया तो पाया कि उक्त खनन पिट्स खनन पट्टा क्षेत्र मे लगे हुऐ है। अन्य खनन स्थल/पिटो को चैक किया गया तो उक्त खनन पिट खनन पट्टा संख्या 34/2022 जो कि श्री ओमप्रकाश सिंह के पक्ष मे स्वीकृत है मे होना पाया गया। वर्तमान मे बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र मे वन प्रत्यावर्तन होने के बाद Block A व B मे कुल 41 खनन पट्टे e-नीलामी के जरिये आवंटित किये गये है जिनमे खनन पट्टाधारियो द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। मौके पर खनन पट्टो के अतिरिक्त वन क्षेत्र मे पुराने खनन पिट लगे हुए पाये गये।

P.T.O.

जिनमे वर्तमान मे खनन कार्य पूर्णत बन्द है मौके पर खनन पट्टा संख्या 80/80 जो वीरपाल सिंह के स्वीकृत है मे अवैध खनन व निर्गमन की रोकथाम हेतु अस्थाई RAC की चौकी स्थापित की हुई है जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगा हुआ है।

मौके पर मौका जाँच रिपोर्ट बनाई गई एवं हस्ताक्षर किये गये।

W/E
SMF
(सीमाकिंद)

Bhurtx
SDO Rupbas
01/07/24

AME Rupbas
01/07/24